

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद— बदायूं

पत्रांक: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12 / 12090

दिनांक: 25-02-19

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 12 से 15 फरवरी 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बदायूं, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, बदायूं, उत्तर प्रदेश।

(डा० रुषा गंगवार)
महाप्रबंधक एन०यू०एच०एम०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
जनपद— बदायूं

पत्रांक: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12

दिनांक: 25-02-19

विषय: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा किये गये भ्रमण के सम्बंध में।
महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 12 से 15 फरवरी 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था तथा भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये (भ्रमण आख्या संलग्न)।

आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या 01 सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NUHM/ Ins. Report/2018-19/12/12090-7

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, बदायूं, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट, बरेली, उत्तर प्रदेश।
7. जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वयक, बदायूं, उत्तर प्रदेश।


(डा० ऊषा गंगवार)
महाप्रबंधक एन०यू०एच०एम०

जनपद बदायूं की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भ्रमण आख्या

- भ्रमणकर्ता अधिकारी :- श्री सोमेश सिंह, सलाहकार, एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम., लखनऊ।
श्री अरुण श्रीवास्तव, कार्यक्रम समन्वयक, एस.पी.एम.यू.-एन.एच.एम.।
- भ्रमण दिनांक :- 12 फरवरी से 15 फरवरी, 2019

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊझांनी, ऊपरपारा एवं कबूलपुरा

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार पर्याप्त स्थान की उपलब्धता नहीं थी।	<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मानकानुसार रिलोकेशन कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. के साथ वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लैब स्थापित नहीं थी एवं लैब से सम्बन्धित उपकरण (Hemoglobin meter, Microscope, etc.) एवं जांच हेतु कोई भी Reagent उपलब्ध नहीं था।	<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लैब हेतु समस्त उपकरण एवं सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. के साथ वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर राज्य स्तर से प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपकरण नहीं पाये गये जैसे - Inverter, Oxygen cylinder, Height Scale, Emergency Tray, Delivery Kit, IUCD Kit, Kellys pad, Macintosh, Foot Step, Fridge, Microscope (1), Colour Coded Bins, clock, etc.	<ul style="list-style-type: none">राज्य स्तर से प्रेषित दिशा - निर्देशों के अनुसार प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपकरण की उपलब्ध सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. के साथ वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none">तीनों नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार आई.ई.सी. का प्रदर्शन नहीं किया गया है।	<ul style="list-style-type: none">मानकानुसार आई.ई.सी. को प्रदर्शित कराये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
<ul style="list-style-type: none">नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्स एवं क्षेत्र में कार्यरत ए.एन.एम. को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में नहीं पता था।	<ul style="list-style-type: none">इस हेतु 01 दिवसीय कार्याशाला का आयोजन करते हुये सभी स्टाफ नर्सों एवं ए.एन.एम. को प्रशिक्षित कराये जाने का सुझाव दिया गया।
<ul style="list-style-type: none">नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात फार्मासिस्टों के द्वारा औषधि स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, इक्सपायरी रजिस्टर, डेली कन्जम्शन रजिस्टर मानकानुसार तैयार नहीं किये जा रहे थे।	<ul style="list-style-type: none">सभी फार्मासिस्ट की एक कार्याशाला कर उन्हें रजिस्टर भरने के तरीके से अवगत कराया गया एवं भविष्य में दिये गये निर्देशों के अनुरूप रजिस्टर तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
<ul style="list-style-type: none">नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ए.एन.सी. रजिस्टर, एच.आर.पी. रजिस्टर, आई.पी.डी. रजिस्टर, रेफरल रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, पी.एन.सी. रजिस्टर, लेबर रूम रजिस्टर, इत्यादि बनाये नहीं जा रहे थे।	<ul style="list-style-type: none">इस सम्बन्ध में सभी स्टाफ नर्सों के साथ बैठक कर समस्त रिकार्ड बनाने एवं पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
<ul style="list-style-type: none">रोगी कल्याण समिति की बैठक एवं रिकार्ड इकाईवार नहीं पाये गये।	<ul style="list-style-type: none">इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., जनपदीय शहरी स्वास्थ्य समन्वय एवं डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट के साथ वार्ता करते हुये तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये।

<ul style="list-style-type: none"> नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात स्टाफ नर्सों के द्वारा आई.यू.सी.डी. नहीं लगाया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. से वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none"> नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कान्डोम बाक्स, कम्प्लेन बाक्स, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगा हुआ था। 	<ul style="list-style-type: none"> इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. से वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none"> नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ई.डी.एल. की सूची, सन्दर्भन सेवाएं, इकाई के खुलने का समय, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षण, इत्यादि प्रदर्शित नहीं किया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु नोडल अधिकारी एन.यू.एच.एम. से वार्ता की गयी।
<ul style="list-style-type: none"> शहरी क्षेत्रों में तैनात ए.एन.एम. के पास सर्वे/आर.सी.एच. रजिस्टर, काउन्टर फाइल पूर्ण नहीं पाये गये। 	<ul style="list-style-type: none"> सभी ए.एन.एम. के द्वारा सर्वे/आर.सी.एच. रजिस्टर, काउन्टर फाइल तत्काल पूर्ण कराये जाने हेतु शहरी स्वास्थ्य समन्वयक एवं डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट को निर्देशित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊझांनी

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० निरंजन सिंह गंगवार चिकित्सक इकाई पर उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित ब्लड बैंक चिकित्सक न होने के कारण ब्लड बैंक संचालित नहीं हो पा रहा है। ब्लड बैंक में केवल 02 लैब टेक्नीशियन उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रति माह औसत ओ.पी.डी. 6000 एवं प्रसव का औसत 200 का है। इस वित्तीय वर्ष में बायो मेडिकल बेस्ट किसी एजेन्सी के द्वारा नहीं ले जाया जा रहा है और बायो मेडिकल बेस्ट का निस्तारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बने पिट में किया जा रहा है। जे.एस.एस.के. डाइट रजिस्टर को पेंसिल से भरा गया था एवं 01 फरवरी, 2019 से डाइट का रिकार्ड खाली छूटा हुआ पाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा रेफर किये गये समस्त मरीजों को रिकार्ड अपडेट नहीं किया जा रहा था। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जे.एस.वाई. मद में पिछले वर्ष के 365 लाभार्थियों हेतु धनराशि कमिटेड की गयी थी एवं इस वर्ष 2632 प्रसव 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के संज्ञान में इस बिन्दु को लाया गया एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। रेफर किये जाने वाले समस्त मरीजों का रिकार्ड दर्ज किया जाय तथा उनका फालोअप भी किये जाने हेतु चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया। समस्त लाभार्थियों का ससमय भुगतान किये जाने हेतु चिकित्साधिकारी को सुझाव दिया गया।

इकाई पर हुये है जिनके सापेक्ष 2105 लाभार्थियों (70 प्रतिशत) का भुगतान किया जा चुका है।

- इकाई पर एन.बी.एस.यू. की स्थापना की जा रही है, परन्तु एन.बी.एस.यू. हेतु उपलब्ध करायी गयी 02 फोटोथेरपी मशीन में ट्रे नहीं है। जिसके कारण फोटोथेरपी मशीन का उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है।
- एन.बी.एस.यू. यूनिट हेतु 03 स्टाफ नर्सों की तैनाती की गयी है, परन्तु इनका प्रशिक्षण अभी तक नहीं कराया गया है।
- प्रसव कक्ष में Focus Light, Surgical glubs, surgical drums, digital clock with room thermometer, Iron sucrose की आवश्यकता है।
- रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

कोल्ड चैन रूम -

- 03 डी फ्रीजर खराब पाये गये।
- कोल्ड चैन रूम में आई.ई.सी. की आवश्यकता है।

एम्बुलेंस सर्विस - 108 यू.पी. 41 जी 2833

- एम्बुलेंस में fire extinguisher, Big Oxygen cylinder खाली था एवं Thermometer, Suction Machine, BP instrument, A.C. खराब पाया गया।

आर.बी.एस.के. -

- आर.बी.एस.के. टीम से श्री इल्ताफत हुसैन optometrist अनुपस्थित थे परन्तु इसकी सूचना चिकित्साधिकारी को नहीं थी और न ही इसके द्वारा पूर्व में कोई सूचना दी गयी थी।
- आर.बी.एस.के. टीम बी के पास Height Scale, Weight Machine, MUAC Tape उपलब्ध नहीं था।
- टीम के द्वारा आज 50 बच्चों की Screening की गयी।
- टीम के विगत 02 माह से वाहन की लॉग बुक को भरा/चेक नहीं किया गया है और न ही कही वाहन की मीटर रीडिंग को नोट किया गया है।

- इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी का अवगत कराया गया।

- एन.बी.एस.यू. यूनिट हेतु तैनात स्टाफ नर्सों के प्रशिक्षण यथाशीघ्र कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया।
- प्रसव कक्ष में आवश्यक सामग्री एवं उपकरण को उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया।
- रोगी कल्याण समिति के रिकार्ड मानकानुसार पूर्ण होने चाहिये एवं उससे सम्बन्धित बैठकों को समय से कराया जाय। इकाई पर रिकार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय इस सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया।

- कोल्ड चैन के सम्बन्ध में जनपदीय टीकाकरण अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया।

- किसी भी कर्मचारी के अनुपस्थित होने की पूर्व सूचना चिकित्साधिकारी सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करें।

- इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी का अवगत कराया गया।

- वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन भरा जाना सुनिश्चित किया जाय इस सम्बन्ध में टीम एवं चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस- सकरी जंगल

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> टीकाकरण रोस्टर प्लान के अनुसार लगाया गया था। सत्र स्थल पर ए.एन.एम. श्रीमती ओमवती श्रीवास्तव, आशा - श्रीमती अनिता कुमारी, आंगनवाडी सहायिका उपलब्ध थी। आंगनवाडी कार्यकर्त्री प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय पर गयी थी। आयोजित किये जा रहे सत्र हेतु कोई आई.ई.सी. नहीं लगायी गयी थी। ए.एन.एम. के पास प्रिन्टेड आर.सी.एच. रजिस्टर एवं काउन्टर फाइल उपलब्ध नहीं थी। ए.एन.एम. के पास सत्र स्थल पर फ़ैमिली प्लानिंग से सम्बन्धित सामग्री (कान्डोम, माला एन, ई.सी.पी., प्रेग्नेंसी किट) उपलब्ध नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक सत्र हेतु बैनर/आई.ई.सी. को प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रत्येक ए.एन.एम. के पास आर.सी.एच. रजिस्टर एवं काउन्टर फाइल की उपलब्धता एवं अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिला कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर को जनपद स्तर से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।


प्राथमिक विद्यालय, संकरी जंगल

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गई कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> प्राथमिक विद्यालय में आई.एफ.ए. की टेबलेट उपलब्ध नहीं थी। विफ्स की रिपोर्टिंग मासिक आधार पर नहीं की जा रही थी। प्रत्येक सप्ताह आई.एफ.ए. की टेबलेट बच्चों को प्रदान नहीं की जा रही थी। आर.बी.एस.के. टीम के द्वारा 21 अगस्त, 2018 को अन्तिम बार भ्रमण कर स्क्रीनिंग की गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> इस हेतु जनपदीय नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया गया एवं इसके समाधान हेतु अनुरोध किया गया। प्रत्येक सप्ताह उपलब्धता के अनुसार आई.एफ.ए. की टेबलेट का वितरण किया जाय इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य को सुझाव दिया गया।

जिला महिला चिकित्सालय बदायूं -

पर्यवेक्षण के बिन्दु	की गयी कार्यवाही
<ul style="list-style-type: none"> ● जिला महिला चिकित्सालय में साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी। ● जिला महिला चिकित्सालय में प्रत्येक माह औसतन 400 प्रसव कराये जाते हैं। ● जिला महिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान भरी जाने वाली केस शीट को पूरा नहीं भरा जा रहा था। जैसे - की जाने वाली जांचों का रिकार्ड, सहमति पत्र पर मरीजों का रिकार्ड, पार्टोग्राफ का रिकार्ड एवं अन्य। ● हाई रिस्क प्रेगनेंसी की लाइन लिस्टिंग नहीं की जा रही थी। ● S.N.C.U के Fridge में खाद्य सामग्री रखी हुई थी। 	<ul style="list-style-type: none"> ● साफ सफाई हेतु चयनित एजेंसी के सुपरवाइजर को साफ सफाई समुचित रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। ● केस शीट के सभी कालमों को भरे जाने हेतु सुझाव दिया गया एवं सी.एम.एस. से इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया। ● हाई रिस्क प्रेगनेंसी की लाइन लिस्टिंग किये जाने हेतु सुझाव दिये गये। ● S.N.C.U Fridge को तत्काल खाली कराया गया तथा उसमें मेडिसिन एवं क्वाज्यूमेबलस रखने का सुझाव दिया गया।
<div data-bbox="228 1088 638 1585" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● टीकाकरण हेतु मानकानुसार प्रिंटेड रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे तथा ए0एन0एम0 द्वारा एम0सी0टी0एस0 कार्ड के काउन्टर फाइल का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। ● जिला महिला चिकित्सालय में विगत माह की रिपोर्ट के अनुसार 382 जीवित बच्चों का जन्म हुआ है, परन्तु केवल 229 बच्चों को ही जीरो डोज प्रदान किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> ● सी.एम.एस. को टीकाकरण हेतु प्रिंटेड रजिस्टर उपलब्ध कराये जाने हेतु सुझाव दिये गये तथा काउन्टर फाइल के रख-रखाव का सुझाव दिया गया। ● जन्म के 24 घण्टे के अन्दर समस्त बच्चों को टीकाकरण कराये जाने एवं छूटे हुये बच्चों का रिकार्ड भी रखने का सुझाव दिया गया।

- K.M.C Ward वार्ड में के०एम०सी० चैयर खराब पायी गयी एवं चैयर के जगह बेड का प्रयोग किया जा रहा था।
- MCH Wing पूरा रूप से क्रियाशील नहीं थी तथा ओ०पी०डी० एवं पी०एन०सी० वार्ड में बिजली जाने पर electricity backup की कोई सुविधा नहीं थी।
- PNC Ward में स्टाफ द्वारा Documentation पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा था।



- जिला महिला चिकित्सालय को अन्टाइड हेतु R.K.S का Registration विगत माह जनवरी में पूर्ण किया गया है जिस कारण उपलब्ध करायी गयी 50 प्रतिशत धनराशि व्यय अपूर्ण है।
- जनपद में प्रत्येक इकाई पर मेडिसिन अनुपलब्ध पायी गयी।

- सी०एम०एस० को के०एम०सी० चैयर की मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया।
- सी०एम०एस० को electricity backup की सुविधा प्रदान किए जाने का सुझाव दिया।
- सभी कालमों को भरे जाने हेतु सुझाव दिया गया एवं सी.एम.एस. से इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराये जाने का अनुरोध किया गया।

- R.K.S का व्यय करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।
- इस सम्बन्ध में चर्चा करने पर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से शेष 50 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त जिला महिला चिकित्सालय के खाते में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।
- इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी का अवगत कराया सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

जनपद में प्रत्येक इकाई पर मेडिसिन की उपलब्धता बहुत कम पायी गयी, इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को अवगत कराया तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय, जनपदीय नोडल अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर के साथ बैठक कर भ्रमण के उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा की गयी तथा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया।



[Handwritten signature]

SAM